रांची में, बुधवार दिनांक 21 मार्च, 2018 को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

<u>निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–</u>

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

1.	वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत्यादेश सं0–23 दिनांक 29.03.2017 द्वारा स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित नई योजना ब्लू रिवोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 : केन्द्रांश 50) में योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के परामर्श के अनुसार अभिश्रव आधारित निकासी की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

2.	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) की धारा–3 उपधारा (2) (स) एवं धारा–8 की उपधारा–(3) के आलोक में गिरिडीह जिलान्तर्गत धनवार अंचल के 04 राजस्व ग्रामों को मिलाकर अंतिम रूप से धनवार नगर पंचायत के रूप में घोषित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	**स्वीकृत। अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

3.	राज्य के 28 नगर निकायों, 06 नवगठित नगर निकायों कुल 34 नगर निकायों के लिए सामान्य निर्वाचन एवं अन्य 04 निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराये जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 16.04.2018 को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव। (कार्योपरान्त स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

4.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में विश्वविद्यालयों हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से बहुद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु राशि रु0 48,72,25,000/– (अड़तालीस करोड़ बहत्तर लाख पच्चीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

5.	मगही, भोजपुरी, मैथिली तथा अंगिका को झारखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	**स्वीकृत। अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

6.	विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन, दुमका का मुख्यालय परिवत्तित कर पाकुड़ निर्धारित किए जाने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

7.	झारखण्ड विधानमण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 में संशोधन के संबंध में।	**स्वीकृत।**

विधि विभाग

8.	ई–कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत् राज्य के व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर (System Officer) के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि करने के संबंध में।	**स्वीकृत। अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

9.	राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम केन्द्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में अंतरिम लाभ देने हेतु वेतन पुनरीक्षण के संबंध में।	**स्वीकृत। अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

10.	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2017 के भव्य आयोजन हेतु कराये गये विभिन्न कार्यों एवं उन पर हुए कुल रु0 10,88,95,470/– (दस करोड़ अट्ठासी लाख पंचानवे हजार चार सौ सत्तर) मात्र के व्यय पर कार्योपरांत स्वीकृति के संबंध में। (कार्योपरांत स्वीकृति)	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

11.	अग्निशमन सेवा के लिए आपदा प्रबंधन प्रभाग मद से रांची शहर के लिए 55 मीटर की ऊँचाई का एक अदद् तथा जमशेदपुर एवं धनबाद शहर के लिए 42 मीटर की ऊँचाई का एक–एक अद्द हाईड्रोलिक प्लेटफार्म के क्रय के सबंध में।	**स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

12.	गैर योजना मुख्य शीर्ष–3054–सड़के तथा सेतु उप मुख्य शीर्ष–04– जिला तथा अन्य सड़के लघु शीर्ष–105–रख रखाव तथा मरम्मति उप शीर्ष–01–13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में योजना अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मति मद में स्वीकृत पथ मरम्मती योजनाओं का दायित्व भुगतान स्थापना व्यय (विस्तृत) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–उपशीर्ष–28 अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) गैर पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क हेतु विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मती एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) मद् में वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से करने की स्वीकृति के संबंध में।	**स्वीकृत।**

ह0/–
(सुधीर त्रिपाठी)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड